

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संखनज दिनांक: 09/08/2021

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

कार्यालय तालिका

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु विदेशीय राष्ट्रीय राजकीय शिक्षा संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के आशय में प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। इसमें समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदन एवं संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार कार्यक्रम प्रथम समया वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 2765-MAHENDRA GAYTRI COLLEGE OF PHARMACY, CHITAUJI, FATEHGANJ, BAREILLY

ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता

क्र.सं.	प्राविधिक शिक्षा संस्था का नाम	प्रवेश क्षमता	क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती, 1992, संसद विनियमवर्ती-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वार्षिक रूप से (एक वर्षीय कोर्स) प्रत्येक वर्ष हेतु ₹0- 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कोर्सों पर प्रत्येक वर्ष हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पर्यवेक्षण (दो वर्षीय कोर्सों पर पर्यवेक्षण के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक कोर्स/कक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा। इत्येवम् के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर धारण हुए विवरण किये जाने वाले शोकावबेन प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्विचार किया जाता है, तो फीस की स्वीकृति एवं सत्र हेतु होगी।
- ✓ संस्था को (30000 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा नव समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किए जाना) विनियमवर्ती-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उक्त संस्था वास्तव में निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को सलाह-सलत पर निर्भर संरक्षण/संरक्षण के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एम.बी.बी.बी.एस.सी. (एम.बी.बी.एस.सी.) से सम्बन्धी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्रयोग सम्बन्धित कक्षाएँ जैसे विधि/निर्देश/अभिलेखनी/भासनादेवी/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राध्यापक शिक्षा, उपाध्यक्ष, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्यक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष द्वारा कक्षाएँ एवं विद्यार्थी, विनियम, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य करेगी।
- ✓ विनियम इन मामलों में व्यवहार की संस्थाएँ यदि वे ही नहीं हैं, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं, तो इस स्थिति में सम्बन्धित उपाध्यक्ष संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उपाध्यक्ष सम्बन्धित कार्य करेगी और उपाध्यक्ष संस्था के साथ ही उपाध्यक्ष संस्था के सम्बन्धित कार्य करेगी।
- ✓ विनियम इन मामलों में व्यवहार की संस्थाएँ को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्यक्ष संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित करने परीक्षा हेतु कक्षा/निर्देश पर्यटन हेतु पूर्ण पी.पी.टी.सी.सी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपस्थित करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कक्षा/निर्देश) के सम्बन्ध से उपाध्यक्ष संस्था पर सौंपे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उपाध्यक्ष संस्था द्वारा प्रयोग हेतु निर्भर नवीनतम उपाध्यक्ष विभागों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूमि भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राथमिक शिक्षा करने वाला सुनिश्चित, सामान्य सुनिश्चित एवं विनियम उपस्थित करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रजिस्ट्रार के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संयोजित व्यवस्थाओं को बनाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्धित उपाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष अक्टूबर, भूमि-भासना, चर्च/उपाध्यक्ष इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी जमा प्राथमिक के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपाध्यक्ष का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो उपाध्यक्ष संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सम्बन्धित एम.बी.बी.बी.एस.सी./एम.बी.बी.बी.एस.सी./अभिलेखनी के प्राथमिक/सुनिश्चित उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता धर्म का अनुपालन न करने स्थिति में उपाध्यक्ष संस्था का उपाध्यक्ष विभाग होने की स्थिति में विनियम/सुनिश्चित अनुमोदन/सुनिश्चित कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक 09/08/2021

सूचिका- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4909

प्राथमिक

प्राथमिक/परिषद MAHENDRA GAYTRI COLLEGE OF PHARMACY, CHITAUJI, FATEHGANJ, BAREILLY



(सुनील कुमार सोनकर)

कार्यालय,

संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या- प्राविण/परिषद/संस्कृत/2022/TB17

अखण्ड दिनांक 30/08/2022

कार्यालय कार्य:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारनेसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा वित्तिक सत्र 2022-23 हेतु विभिन्न राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अधिदत्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी। सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश सम्बन्धित वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरी अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2785-MAHENDRA GAYATRI COLLEGE OF PHARMACY, CHITAUILL, PO-FATEHGANJ (WEST) DISTT- BAREILLY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तें बर पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची 1962, विनियमसूची-2000, सेमेस्टर विनियमसूची-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनद्वारा की गयी तथा मुक्त निदेशन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पर्यवेक्षी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पर्यवेक्षी पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रु0-21500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनद्वारा

प्राप्त होने और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। कीस निर्धारण समिति द्वारा वृद्धि राश 2022-23 वि. बी.स का पुनर्विचार किया जाता है। ती कीस की नवीनतम दर नाम होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समक-समय पर विन्त वासनदीया के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराने होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/निबन्ध/अधिनियम/एएस/एड/सी/निदेश एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियम, विनियम, आदेश एवं निर्देशों का पालन करने के लिए कार्यवाही है।
- ✓ यदि संस्था का ए0अ0इ0सी0टी0ई0पी0सी0अ0ए0 ने अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त प्रस्तावित संस्था का उन्त और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा वाद वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रवेश होने के पूर्व ए0अ0इ0सी0टी0ई0पी0सी0अ0ए0 ने अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अतः संस्था उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के कार्यक्रम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीपी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समक-समय पर निर्गत नवीनतम आवकण नियमों का अनुपालन संस्था कार्यवाही होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाओं को संस्था की वित्तीय वृद्धि भूमि, स्वयं, साम-सञ्ज-उपकरण, प्राप्त किया अथवा वसूली, छात्रवास शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उपयुक्त कार्यक्रम उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक प्रयोग के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्ययस्य सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संयोजित कार्यक्रम को चलाई जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवत, वकील, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के सञ्चालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था में अधिक स्थानीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साम-सञ्ज ए0अ0इ0सी0टी0ई0पी0सी0अ0ए0 के न्यायानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ संस्था को अपने या अनुपालन न किया जाने प्रमाणों द्वारा कि सम्बंधित विषयों को संस्था में निरन्तर अनुपालन करनी कार्यवाही की जायेगी।

(एफ०आर० खान)

सचिव

दिनांक: 30/08/2022

पुस्तक- साक्षि/परिषद सन्ख्या/2022/7818-8455

प्रतिनिधि:-

संयोजक/सचिव/निर्देशक MAHENDRA GAYATRI COLLEGE OF PHARMACY, CHITAUJI, PO-FATEHGANJ
(WEST) DISTT- BAREILLY



(एफ०आर० खान)

सचिव

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या:- प्राथिपापरिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

संख्या: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय नाम:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वी.सि.ए. सं. 2023-24 हेतु पूरे में संचालित विज्ञानात्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान करने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में संख्या: दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 03-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था की प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उभरी जायित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पते एवं सत्र : 2785-MAHENDRA GAYATRI COLLEGE OF PHARMACY, CHITAUJI, PO-FATEHGANJ (WEST) DISTT- BAREILLY

संस्था	पाठ्यक्रम का नाम	ए.आइ.ए.सी.टी.ए.ई/ पी.सी.आई.ई द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश राजधानी के पत्र संख्या 311/19-3099/0/2022, टी.पी.ओ.-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्ण में घोषित संस्था संस्थाओं की ओर के विस्तार प्राथमिक विद्यालय में अखिल शिक्षा परिषद संख्या 2022/120223 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधीन प्रदत्त नियम की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की सभी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के माध्यम से अनुक्रम संस्थाओं में संस्था संस्थाओं (आई. ए.ई. एवं ए.आइ.ए.सी.टी.ए.ई) अति उपलब्ध है।

- ✓ संस्था द्वारा उच्च शैली अभिज्ञान शिक्षा परिषद एन. 1982 तथा अभिज्ञान शिक्षा परिषद विनियमन 1992, विनियमन 2000, विनियमन विनियमन 2015 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करने की तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रत्येक प्रतिलिपि को प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अधीनस्थ (अनुपालन) की शुल्क का सम्बन्ध में समय-समय पर सफल द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शासनादेशों पर ध्यान देने, और तदनुसार कार्यवाही किया जावे (समय-समय पर) किसे निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2023-24 हेतु बीएस का पुनर्निर्धारण किया जावे है, तो बीएस की नवीनीकरण (ई) करने होगी।
- ✓ संस्था में अनुसूचित श्रेणी शैली परिषद द्वारा निर्धारित करने को ही प्रवेश दिया जावेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को उच्च शैली समय-समय द्वारा निर्गत विनियमन/विनियमन/परिषद/शैली/शैली एवं विनियम, अभिज्ञान शिक्षा 3040, अनुसूचित श्रेणी शैली परिषद, 2040 तथा अभिज्ञान शिक्षा परिषद, 2040 द्वारा कबले गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का अधिन अधीन शासनादेश शिक्षा परिषद/कार्यकारी समिति/ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुसूचित शिक्षा विभाग जमा है तो इस समय में समय-समय द्वारा निर्गत शासनादेशों का हीमि और विधिक रूप में किसे ही कार्यवाही के लिए समय-समय शासनादेशों को ले। अभिज्ञान शिक्षा परिषद, अनुसूचित श्रेणी शैली परिषद, अभिज्ञान शिक्षा निर्देशन एवं अभिज्ञान शिक्षा विभाग द्वारा उच्च शैली शिक्षा के विषय यदि कोई कदम लिया जाता है तथा कबल बाद के समय में ना, तथाकथित द्वारा किसे समय की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिभूति कार्यवाही संबंध को करती होगी।
- ✓ संस्था को अनुसूचित श्रेणी शैली परिषद, उच्च शैली समय-समय द्वारा कार्यवाही के लिए अधीनस्थ श्रेणी शैली हेतु कार्यालयिक श्रेणी होने के लिये अधिकतम कार्यवाही शिक्षा परिषद/कार्यकारी समिति/ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुसूचित श्रेणी शैली परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराने होगा अथवा अन्य श्रेणी की अनुसूचित श्रेणी को करती होगी।
- ✓ उच्च शैली समय-समय द्वारा कार्यवाही हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेश 2040/1992 विनियमों का अनुपालन करके कार्यवाही होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा अभिज्ञान शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था को समय-समय द्वारा जैसे संस्था को औद्योगिक पूंजी भूमि, इलाहाबाद, उच्च शैली, उच्च शैली, उच्च शैली जमा कबल शुल्क, कार्यवाही शुल्क आदि का निरीक्षण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को निरीक्षण-परिषद हेतु अनुसूचित शासनादेश उपलब्ध कराने के साथ निर्गत शासनादेशों के सम्बन्ध में संस्था द्वारा समय-समय शासनादेशों को निर्धारित करती होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित है कि संस्था में कार्यालयिक/संचालित पाठ्यक्रम को पढावे जाने हेतु निर्धारण समिति के समय उपलब्ध करावे एवं अधिदेश, भूमि/अध्ययन, कार्यवाही, उच्च शैली शुल्क/ई का यदि संस्था द्वारा किसे अन्य पाठ्यक्रम के संदर्भ में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त तब प्रयोग किसे अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बन्धित शासनादेश किसे जैसे ही कार्यवाही को करती होगी।
- ✓ उच्च शैली अभिज्ञान शिक्षा (समिति/ऑफ इंडिया, शैली/ऑफ इंडिया का अनुसूचित शिक्षा जमा), विनियमन 2000, का परिषद/कार्यकारी परिषद की शैली पर अपने कार्यवाही, कार्यवाही और कार्यवाही की परिषद को शैली के संस्था के लिए परिषद के अधिन में करती।
- ✓ संस्था के अधिकतम कार्यवाही निर्धारण के दौरान यदि संस्था में भूमि, समय, प्रयोग/कार्य, उच्च शैली एवं अन्य शासनादेश/परिषद/कार्यकारी परिषद के सम्बन्धित उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था को सम्बन्धित संस्था का ही करती होगी।
- ✓ संस्था को यदि का अनुपालन न किया जावे अथवा कार्यवाही उपलब्ध किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालन/समय कार्यवाही की जावेगी।



(अनील कुमार सिंह)